

## विज्ञप्ति

जिला आगर-मालवा में जिला प्रबंधक(लोक सेवा) रिक्त पद की संविदा आधार पर नियुक्ति हेतु दिनांक 25.01.2023 तक योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी का प्रारूप सेवा शर्तें आदि जिले की वेबसाइट [www.agarmalwanic.in](http://www.agarmalwanic.in) पर उपलब्ध है।

उपरोक्त जानकारी कार्यालयीन समय में कलेक्टर कार्यालय आगर-मालवा से भी प्राप्त की जा सकती है। जिला प्रबंधक(लोकसेवा) का एकजाई मासिक वेतन 25000/- निश्चित है।

  
कलेक्टर

११ जिला आगर-मालवा

कार्यालय कलेक्टर (लोक सेवा प्रबंधन) जिला आगर-मालवा में रिक्त पद की जानकारी

पद नाम	कुल पद	वेतन
लोक सेवा प्रबंधक संविदा	01	25000/- प्रतिमाह

2- पद हेतु आवेदकों की न्यूनतम अर्हतादायी योग्यताएँ:

क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम अर्हतादायी योग्यता
01	जिला लोक सेवा प्रबंधक	1. मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ एम.बी.ए. अथवा बी.ई./बी.टेक(CS/IT)/एमसीए की उपाधि।

3- उपरोक्त पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगी:- ( आयु सीमा की गणना के लिए तिथि दिनांक 01.01.2023 होगी)

क्रमांक	श्रेणी	अधिकतम आयु-सीमा
01	पुरुष आवेदक (अनारक्षित श्रेणी)	40 वर्ष
02	महिला आवेदक (अनारक्षित श्रेणी)	45 वर्ष
03	पुरुष/महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
04	पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
05	पुरुष महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग-शासकीय /निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
06	निःशक्तजन आवेदकों के लिए	45 वर्ष

4- आवेदन हेतु अंतिम तिथि-

उपरोक्त पद हेतु ऑफलाईन आवेदन पत्र सिधे कलेक्टर कार्यालय आगर-मालवा के कक्ष क्रमांक120(स्थापना शाखा) में प्राप्त किये जायेंगे। जिसके लिए अंतिम तिथि दिनांक 25 जनवरी 2023 निर्धारित है।

5- मूल निवासी प्रमाण पत्र-

उपरोक्त पद मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये है। अतः आवेदक के चयन की स्थिति में नियुक्ति के पूर्व मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा चयन अमान्य किया जाएगा।

## 6- चयन प्रक्रिया -

1. उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु अधिकतम 5 आवेदकों को न्यूनतम अर्हतादायी योग्यता के आधार पर बुलाया जाएगा।
2. अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों का चयन न्यूनतम अर्हतादायी योग्यता के प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।
3. दो आवेदकों के प्राप्तांक समान होने पर अधिक आयु वाले आवेदक को वरियता दी जायेगी।
4. जिला प्रबंधक(लोक सेवा) के पद पर चयन साक्षात्कार में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।

## संविदा नियुक्ति शर्तें

### संविदा अवधि

- 1.1 - संविदा नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की जायेगी। प्रत्येक वर्ष कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा। मानक स्तर पर कार्य नहीं होने पर संविदा नियुक्ति समाप्त की जायेगी।
- 1.2 - तीन वर्ष के पश्चात संविदा अवधि में वृद्धि आवश्यकता एवं उपयुक्त होने पर विचार किया जायेगा।
- 1.3 - इस संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमितिकरण संबंधी कोई मांग या दावा नहीं किया जायेगा।
- 1.4 - प्रत्येक वर्ष पुनः संविदा नियुक्ति की स्थिति में गत नियुक्ति के दौरान प्राप्त वेतन में 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

### 2.0 मानदेय / पारिश्रमिक-

जिला प्रबंधक (लोकसेवा) को संविदा अवधि के दौरान रु. 25,000/- प्रतिमाह एक मुश्त वेतन दिया जाएगा। महंगाई एवं अन्य गृह भाडा भत्ता आदि नहीं दिया जाएगा।

### 3.0 एन.पी.एस कटौती-

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3, दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार लागू होंगे।

### 4.0 अवकाश-

- (क)- आकस्मिक अवकाश संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमानुसार 01 वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।
- (ख)- चिकित्सा अवकाश संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमानुसार 01 वर्ष में 15 दिन के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। चिकित्सा अवकाश न लिए जाने की स्थिति में इसे आगामी वर्ष में नहीं जोड़ा जायेगा।
- (ग)- प्रसूति अवकाश संविदा पर नियुक्त महिला अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमानुसार 90 दिन तीन माह) के प्रसूति अवकाश की पात्रता मानदेय की राशि सहित पात्रता होगी। प्रसूति अवकाश मात्र दो जीवित संतानों तक ही देय होगा। प्रसूति संबंधी गंभीर चिकित्सकीय आवश्यकताओं हेतु महिला संविदा कर्मियों हेतु 90 दिन का बिना पारिश्रमिक के अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। स्वीकृति का अधिकारी जिला कलेक्टर को होगा।
- (घ)- उपरोक्त सभी प्रकार के अवकाश का उपभोग जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति से किया जाएगा। बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर रहने / अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति की अवधि का वेतन देय नहीं होगा।

### 5.0 अन्य-

- 5.1- नियुक्ति के पश्चात जिले के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थित होने के पश्चात 7 दिवस की अवधि में कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- 5.2- संविदा नियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी की सेवाएं निर्धारित अवधि के पूर्व कलेक्टर द्वारा एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकेगी।

- 5.3- संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी एक माह पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्याग पत्र दे सकता है।
- 5.4- संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी बिना रक्षाम अधिकारी की पूर्वानुमति निर्देश के कोई भी सूचना /जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को कोई भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
- 5.5- कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
- 5.6- संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को समय-समय पर सौंपे गए अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे।
- 5.7- नियुक्ति पत्र में दर्शायी तिथि तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।
- 5.8- संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को आधारभूत एवं उसके दावों से संबंधित प्रशिक्षण में अनिवार्यतः भाग लेना होगा।
- 5.9- संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवक पर लागू नियम या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति अधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जायेगी।
- 5.10- संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।
- 5.11- संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उसे प्रावधानित किये गये कार्य मानक स्तर से नहीं करने की स्थिति में कारण बताओं स्पष्टीकरण पत्र जारी कर के 250/- तक अर्थदण्ड या अनुशासनहीनता करने का आरोप लगाया जा सकेगा। संविदा के दौरान 2 बार से अधिक अर्थ दण्ड लगाने की स्थिति निर्मित होने पर तीसरी बार अर्थदण्ड लगाते समय सेवार्य समाप्त की जा सकेगी।
- 5.12- चयनित अभ्यर्थी उसका पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जायेगा। यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 5.13- विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा।
- 5.14- जिला प्रबंधक(लोकसेवा) एवं कार्यालय सहायक के जाब चार्ट कलेक्टर द्वारा निर्धारित किये जाएंगे।
- 5.15- चयन की स्थिति में संविदा के पूर्व मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।